दिनांक–08.02.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (2) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (3) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (4) श्री आलोक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।
3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

i. विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित/कार्यरत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति एवं **ACP/MACP** के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस माह फरवरी, 2025 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/स्थापना, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग)

ii. विभिन्न जिलों से प्राप्त आवंटन के संबंध में मांग पत्र की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को शेष राशि का आवंटित करने का निदेश दिया गया, वाहन भुगतान से संबंधित कार्रवाई दिनांक–15.02.2025 के पहले पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/बजट प्रशाखा, पंचायती राज विभाग)

iii. पंचायत प्रखंड एवं जिला स्तर पर पदस्थापित पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सभी कर्मियों का लंबित वेतन/मानदेय इत्यादि का भुगतान एक सप्ताह में करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी पंचायत राज पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी)

कृ०पृ०उ०........

iv. सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर तकनीकी सहायक एवं अंकेक्षक का रोस्टर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः— सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—03)

v. विधान सभा एवं विधान परिषद् के लंबित प्रश्नों तारांकित, अतारांकित इत्यादि का उत्तर सामग्री दिनांक—20.02.2025 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

vi. सामान्य कार्यालय अनुशासन, क्षेत्र भ्रमण एवं सुचारू रूप से अनुश्रवण कोषांग के Random Verification एवं Monitoring Cells के Calls का Response अवश्य ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

अंत में सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/—
(दिवेश सेहरा)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9प०/प्र०—08—802/(खण्ड)2016/................../पं०रा० पटना, दिनांक........../......../2025
प्रतिलिपिः—सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः—9प०/प्र०—08—802/(खण्ड)2016/3115/पं०रा० पटना, दिनांक 27/2/2025
प्रतिलिपिः— सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

लगातार........

ज्ञापांक:-9प० / प्र०-08-802 / (खण्ड)2016 / 3115 / पं०रा० पटना, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रतिलिपि:-श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई-मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव